न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / रसद / 10 / 2020

गोपालगिरी उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत सिरौंद तहसील रूपवास जिला भरतपुर ।

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 02.07..2020 प्रकरण संख्या 07 / 2020, वमुकदमा सरकार बनाम गोपालगिरी अन्तर्गत धारा 22 खाद्य सुरक्षा अधिनियम ।

निर्णय **दिनांक 25.11.2020**

अपीलाण्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 02.07.2020 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को निरस्त किये जाने एवं जमाशुदा प्रतिभूति राशि जव्त सरकार किये जाने की आज्ञा पारित की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहत पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न मिसल है।

पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि शिकायत प्राप्त होने के बाद मौके पर जाकर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा कोई जांच नहीं की गई। तहत अदालत द्वारा समस्त कार्यवाही कोविड–19 के लॉक डाउन के दौरान की गई है। अपीलान्ट बुजुर्ग व्यक्ति होने से लॉक डाउन के कारण कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सका था। अपीलान्ट का पुत्र जो किसी काम से कार्यालय में आया हुआ था, उससे कार्यालय के कर्मचारी ने आर्डरशीट पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर करा लिए और पत्रावली का निस्तारण कर दिया। अभिभाषक अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट की पोस मशीन जल जाने के कारण खराव हो गई थी, इस बावत जिला रसद अधिकारी कार्यालय को अवगत करा दिया गया था। अपीलान्ट ने अपने खर्चे पर पोस मशीन को ठीक कराया था। लॉक डाउन के कारण पोस मशीन के ठीक होने में समय लग गया था। प्रवर्तन निरीक्षक ने जिस समय जांच की उस समय तक पोस मशीन ठीक होकर नहीं आई थी। इस कारण राशन वितरण नहीं हो सका। पोस मशीन ठीक होने के बाद अपीलान्ट ने उपभोक्ताओं को राशन वितरण का कार्य शुरू कर दिया। राशन वितरण से सम्बन्धित उपभोक्ताओं की

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.10 14:45:48 IST
Reason: SelfAttested

कोई शिकायत नहीं है। अपीलाधीन आदेश अवैधानिक होने से खरिज किये जाने योग्य है ।

पैरोकार रसद द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा स्टॉक में गेंहूँ होने के बावजूद 48 उपभोक्ताओं को गेंहूँ वितरण नहीं किया गया व माह मार्च, 2020 में गेंहूँ स्टॉक में होने के बावजूद भी उपभोक्ता पखवाड़े में गेंहूँ का वितरण नहीं किया जा सका। कोविड–19 के दौरान उचित मूल्य दुकानदारों को लॉक डाउन से छूट थी एवं अपीलान्ट दिनांक 19.06.2020 को सुनवाई पर उपस्थित रहा फिर भी अपीलान्ट द्वारा उसे जारी कारण बताओ नोटिस का जबाव नहीं दिया गया। अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। अन्त में पैरोकार रसद ने अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई ।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। अपीलान्ट के विरूद्ध मुख्य आरोप यह है कि अपीलान्ट द्वारा स्टॉक में गेंहूँ होने के बावजूद 48 उपभोक्ताओं को गेंहूँ वितरण नहीं किया गया व माह मार्च, 2020 में गेंहूँ स्टॉक में होने के बावजूद भी उपभोक्ता पखवाड़े में गेंहूँ का वितरण नहीं किया जा सका। यहां महत्व पूर्ण बिन्दु यह है कि अपीलान्ट की पोस मशीन जल जाने से खराब हो गई थी, इस कारण राशन सामग्री का वितरण नहीं हो सका। अपीलान्ट द्वारा पोस मशीन खराब होने की सूचना जिला रसद कार्यालय को दी गई और उसके बाद इस तथ्य से प्रवर्तन निरीक्षक को भी मौके पर वक्त जांच अवगत कराया गया, किन्तु पोस मशीन को ठीक कराने बावत रसद विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की। पोस मशीन अपीलान्ट के स्तर से ही ठीक कराई गई,जिसे लॉक डाउन होने के कारण ठीक कराने में समय लगा। जहां तक 48 उपभोक्तओं की शिकायत का प्रश्न है तो प्रवर्ततन निरीक्षक द्वारा मौके पर कोई जांच नहीं की गई है। इस बावत कोई भी जांच रिपोर्ट व उपभोक्ताओं के बयान आदि पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और न ही प्रवर्तन निरीक्षक की निरीक्षण फर्द पत्रावली में संलग्न है। डीलर द्वारा राशन सामग्री का कोई दुरूपयोग व गबन किया जाना भी नहीं पाया गया है। अपीलानधीन आदेश बिना किसी जांच किये पारित किया गया है जो, विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। अस्तु अपील स्वीकार किये जाने योग्य है ।

अतः आदेश है कि

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.07.2020 अपास्त किया जाता है। डीलर की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जावे। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को भेजी जावे।

निर्णय आज दि0 25.11.2020 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.10 14:45:48 IST
Reason: SelfAttested